

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 171408

पटना, दिनांक 13-12-13

ग्रा.वि.-5/इं0आ0यो0(पृच्छा)-102-45/2013

प्रेषक,

संजय कृष्ण,  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,  
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) ।

विषय :- इंदिरा आवास योजना के तहत लाभूक को द्वितीय किस्त की सहायता राशि भुगतान करने के संबंध में मार्गदर्शन ।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-359 दिनांक-23.11.13

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र से स्पष्ट होता है कि इंदिरा आवास जिस महिला के नाम से आवंटित की गयी तथा प्रथम किस्त की सहायता राशि का भुगतान किया गया था वे नेपाली पुरुष से विवाह कर नेपाल चली गयी हैं । उनके पूर्व पति के द्वारा मकान निर्माण हेतु द्वितीय किस्त की सहायता राशि की मांग की जा रही है । इस संदर्भ में मांगे गये मार्गदर्शन के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका-4.8 Allotment of houses में "Allotment of the IAY house shall be jointly in the name of husband and wife except in the case of a widow/unmarried/separated person" प्रावधान है ।

अतः यदि उक्त महिला के पूर्व पति आवासित होने के लिए उसी अधूरे इंदिरा आवास को पूर्ण करने हेतु द्वितीय किस्त का भुगतान का अनुरोध कर रहे हों तो उसे स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि योजनान्तर्गत दोहरा लाभ लेने की स्थिति नहीं हो ।

विश्वासभाजन

MO  
13.12.13  
(संजय कृष्ण)

विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक 171408

पटना, दिनांक 13-12-13

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

MO  
13.12.13  
विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक 171408

पटना, दिनांक 13-12-13

प्रतिलिपि- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

MO  
13.12.13  
विशेष कार्य पदाधिकारी